

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
 क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/293.22831/जो.जयपुर/2023/218 दिनांक- 3/4/24

अधीक्षक
 महिला चिकित्सालय,
 सांगानेरी गेट, जयपुर ।

विषय- स्व.श्रीमति फतेह कंवर म.स्वा.कार्यकर्ता के अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में ।

संदर्भ- आपका पत्र क्रमांक 4267 दिनांक 11.02.2024 के क्रम में ।

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि स्व. श्रीमति फतेह कंवर म.स्वा.कार्यकर्ता के अवकाश स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये है में नियमानुसार राज्य कर्मचारी को एक समय में अधिकतम 120 दिवस तक का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है । कुछ विशेष बीमारियों की स्थिति में यह 300 दिवस तक स्वीकृत किया जा सकता है । प्रकरण में कार्मिका को डायलिसिस पर होने के कारण 280 दिवस का उपार्जित अवकाश चाहा है, किन्तु आरएसआर नियम-59 में उल्लेखित बीमारियों में डायलिसिस शामिल नहीं है ।

ऐसी स्थिति में कार्मिका द्वारा आवेदित 280 दिवस के उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने की सक्षमता केवल वित्त विभाग में निहित है । अतः आरएसआर नियम-59 की भावना के अनुरूप यदि आवेदक सहमत हो तो, संशोधित अवकाश आवेदन पत्र प्राप्त कर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित करे ताकि प्रकरण प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को भिजवा कर इस संबंध में निर्णय करवाया जा सके ।

(राकेश कुमार शर्मा)
 निदेशक (अराजपत्रित)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
 राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/293.22831/जो.जयपुर/2023/218 दिनांक- 3/4/24

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कार्मिका के आश्रित को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी ।
2. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को संबंधित को ई-मेल करे ।

निदेशक (अराजपत्रित)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
 राजस्थान, जयपुर

Signature valid

RajKaj Ref
 6307125



Digitally signed by Rakesh Kumar
 Sharma
 Designation: Director
 Date: 2024.03.24 11:10:56 IST
 Reason: Approved